

प्रकरण सं. 19/2025
GCMS No. - 2025/48

आवास फार्नेशियर्स लिमिटेड v/s सीताराम नामा वगै

18.03.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि सम्पत्ति का स्वामित्व ऋणी सीताराम नामा का है। सम्पत्ति दस्तावेज में स्वामित्व ऋणी सीताराम नामा तथा पिता मोहनलाल नामा है। इस प्रकार सम्पत्ति का स्वामित्व दो व्यक्तियों के नाम है जबकि ऋण अनुबंध पत्र पर केवल ऋणी सीताराम नामा व अन्य के हस्ताक्षर है। प्रार्थना पत्र में अंकित बंधक सम्पत्ति की दिशाए तथा सम्पत्ति दस्तावेज की दिशाए भिन्न-भिन्न है। वकील प्रार्थी को उक्त बंधक सम्पत्ति में ऋणी का हिस्सा/बंटवारा नामा संबंधी दस्तावेज तथा बंधक सम्पत्ति की सही दिशाए पेश करने बाबत पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा बंधक सम्पत्ति में ऋणी का हिस्सा/बंटवारा नामा संबंधी दस्तावेज तथा बंधक सम्पत्ति की सही दिशाए पेश नहीं की गयी है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

